न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्याः— 129/2015

1. मदनलाल पुत्र कन्हैया जाति धीमर निवासी वीनारायनगेट अन्दर धीमर मौहल्ला, भरतपुर हाल बयाना दरवाजा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर

.....वादी

बनाम्

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भरतपुर

..... असल प्रतिवादी

2. श्यामवती पुत्री कन्हैया पत्नि पून्या जाति धीमर निवासी कुडगांव तहसील सपोटरा जिला करौली
3. वसन्ती पत्नी गोपाल जाति धीमर निवासी वीनारायनगेट अन्दर धीमर मौहल्ला, भरतपुर

..... तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत 88—89 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम
   अभिभाषक वादी

निर्णय

दिनांकः— 23.01.2018

वादी द्वारा दिनांक 06.07.2015 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय के साथ पेश किया कि गत खसरा नं0 1155 रकवा 10 बिस्वा से हाल नम्बर 1049 रकवा 08 एयर बांके चक नं0 2 तहसील भरतपुर निर्मित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी न. 2 व 3 के पिता कन्हैया पुत्र नहने जाति धीमर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। दावा के हालात को समझने के लिए सजरा निम्न प्रकार है।

Web Copy Not Official

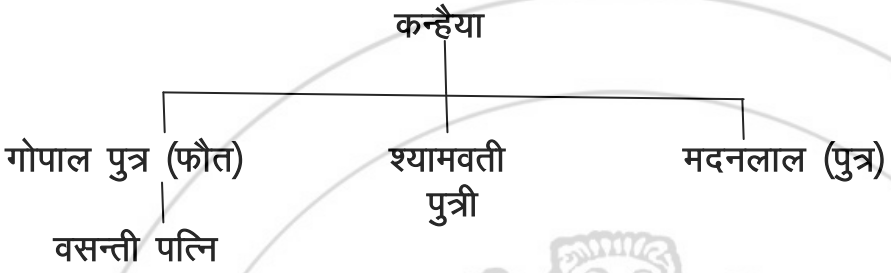

वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता कन्हैया का स्वर्गवास करीब 10 साल पूर्व हो चुका है तथा हम वादी एवं प्रतिवादीगण तरतीवी उसके कायम मुकामान है अन्य कोई वारिस नही है। हम वादी एवं प्रतिवादीगण तरतीवी ही उक्त आराजीयात पर वहिस्सा बराबर–बराबर 1/3 के हिस्सेदार व काबिज काश्तकार है एवं पिता के समय से ही आराजी पर आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर आपस में मिलकर ही तीनो काश्त करते है। कन्हैया का पुत्र गोपाल फौत हो चुका है उसकी विधवा पत्नि वसन्ती है इसलिए उसको पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादी के पिता का सम्वत् 2012 से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है जिसको अब खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है इतने लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदार दर्ज कर दिया जाना चाहिये था। मगर अब तक नही किया गया है इसलिए अब उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद हम वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी को आराजी मुतनाजा पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है इसी प्रकार की घोषणा करा पाने के अधिकारी है। वादी के पिता का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। वदी वजह वादी इस अम्र की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि वादी 1/3 एवं प्रतिवादी तरतीवी नं0 2 व 3 1/3–1/3 के खातेदारी करा पाने के अधिकारी है तथा वर्तमान में जो इन्द्राज गैर खातेदारी के हो रहे है उसकी कलमजन करते हुए हम वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। वादी ने प्रतिवादी नं0 1 असल से दिनांक 30.06.2015 को इन्द्राज दुरस्ती खातेदारी कराने की बावत् कहा तो वह इन्कारी हो गया व अदालत से आदेश कराकर लाने को कहा तो यह दावा विना किसी देरी के पेश किया जा रहा है।

अतः वादी द्वारा प्रार्थना की गई कि हाल आराजी खसरा नं0 1049 रकवा 08 एयर बांके ग्राम चक नं0 2 भरतपुर तहसील भरतपुर में स्थित है पर जो वादी के पिता के नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज हो रहा है उसके स्थान पर हम वादी को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी तरतीवी नं0 2 व 3 को 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर डिक्री पारित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2, 3 उपस्थित नही हुए तो उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

पैरोकार सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार, भरतपुर द्वारा दिनांक 20.02.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया कि वादी ने नकल मिलान क्षेत्रफल गत नकल जमाबन्दी पेश नही की है। वादी ने सम्वत् 2012 की नकल जमाबन्दी पेश नही की है। धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया है। आराजी नगर निगम भरतपुर की सीमाओं में है। खातेदारी नही दी जा सकती। दावा खारिज किया जावे।

वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 एवं दावा के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है।

अभिभाषक वादी व प्रतिवादी सं0 1 की उपस्थिति में निम्न तनकी कायम की गयीः–

1. आया हाल ख0नं0 1049/0.08 है0 ग्राम भरतपुर चक नं0 2 पर वादी स्वयं को 1/3 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 2–3 को भी क्रमशः 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है ?

..... वादी

2. आया वादी ने सम्वत् 2012 की नकल जमाबन्दी व नकल मिलान क्षेत्रफल को पेश नही किया है ?

..... प्रतिवादी

3.आया धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया है ?

..... प्रतिवादी

4. आया आराजी नगर निगम की सीमाओं में है ?

..... प्रतिवादी

5. दादरसीः– ?

तनकीवाईज निर्णय निम्न प्रकार हैः–

1. वादी द्वारा विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 एवं उसके बाद की एक भी नकल प्रस्तुत नही की गयी है जिससे यह पता नही लगता है कि वादी का विवादित रकवा पर सम्वत् 2012 से लगातार कब्जा रहा है। इसलिए यह तनकी खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।
2. वादी द्वारा सम्वत् 2012 की नकल जमाबन्दी पेश नही की है। यह तनकी भी खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।
3. वादी द्वारा 80सीपीसी का नोटिस तहसीलदार, भरतपुर को नही दिया गया है। इसलिए यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।
4. आराजी नगर निगम की सीमाओं के बावत् कोई रिकार्ड पेश नही किया गया है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्त तनकियों के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि वादी अपने वादपत्र को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। इसलिए दावा वादी खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादी खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दा0द0 है।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official